सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 157/2018 दायर दिनॉक 30.07.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुशीलादेवी पौत्री स्वर्गीय किशनलाल पत्नी अशोक गौड़, उम्र—45साल, निवासी, राजकीय सैकेण्डरी विद्यालय के पास, मकराना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. गायत्रीदेवी पौत्री स्वर्गीय किशनलाल पत्नी शम्भुशर्मा, उम्र—43साल, निवासी, प्लॉट नम्बर 44/153, रजतपथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, 3. सन्तोषदेवी पौत्री स्वर्गीय किशनलाल पत्नी अशोककुमार, उम्र—37साल, निवासी—भैरूजी मन्दिर के पास, तहसील—परबतसर, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. रामगोपाल पुत्र स्वर्गीय किशनलाल, उम्र—71साल, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. विनोदशर्मा पौत्र स्वर्गीय किशनलाल पुत्र रामगोपाल, उम्र—48साल, निवासी—सैन्ट्रल बैंक ऑफ ऑफ इण्डिया के पास, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. मनोजशर्मा पुत्र रामगोपाल, उम्र—41साल, 4. सुरेशशर्मा पुत्र रामगोपाल, उम्र—39साल, 5. महेशशर्मा पुत्र रामगोपाल, उम्र—34साल, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. उप पंजीयक, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनॉक 05.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादीगण के दादा स्वर्गीय किशनलाल के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 09.04 बीघा शरहद मौजा मौलासर अवस्थित है जिसमें से अविभाजित 1/2 हिस्से की खातेदारी स्वर्गीय किशनलाल के नाम दर्ज थी

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी स्वर्गीय नन्दलाल के नाम दर्ज थी। स्वर्गीय किशनलाल व स्वर्गीय नन्दलाल सगे भाई थे।

वादी अनुतोष है कि,

शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 467 रकबा 09.04 बीघा में से 1/16 भाग की खातेदारी वादीगण के घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 ग्राम मौलासर खेवट संख्या 634/555 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश पेश किया है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**मौलासर** में पत्रावली पेश हुई। वादीगण संख्या 01 व 03 तथा प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया।

लोक अदालत की भावना व आपसी समझाईश के कारण से पक्षकारान् ने राजीनामा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 01 जो कि वादीगण के पिता है, ने वादग्रस्त पैतृक भूमि में, अपनी पुत्रियों– वादीगण का अधिकार स्वीकारते हुए, वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। इसप्रकार दावानुसार, पक्षकारान् सहमत हैं एवं दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, वादग्रस्त भूमि शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 467 रकबा 09.04 बीघा में से हिस्से 1/2 भाग में, वर्तमान में दर्ज खातेदार रामगोपाल वल्द किसनलाल के साथ–साथ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को भी खातेदार घोषित किया जाना न्यायालय के मतानुसार उचित प्रतीत होता है।

बाद विवेचन, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 157/2018
दायर दिनाँक 30.07.2013, निर्णय दिनाँक 02.06.2018
सुशीलादेवी बनाम् रामगोपाल, वगैरा।

—:: **आदेश** ::—

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **मौलासर** में खसरा नम्बर 467 रकबा 09.04 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, दर्ज खातेदार "रामगोपाल वल्द किसनलाल" का हिस्सा 1/2 भाग में, "रामगोपाल वल्द किसनलाल" के साथ, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

निर्णय, आज दिनाँक **05.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 157/2018 दायर दिनाँक 30.07.2013

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुशीलादेवी पौत्री स्वर्गीय किशनलाल पत्नी अशोक गौड़, उम्र—45साल, निवासी, राजकीय सैकेण्डरी विद्यालय के पास, मकराना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. गायत्रीदेवी पौत्री स्वर्गीय किशनलाल पत्नी शम्भुशर्मा, उम्र—43साल, निवासी, प्लॉट नम्बर 44/153, रजतपथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, 3. सन्तोषदेवी पौत्री स्वर्गीय किशनलाल पत्नी अशोककुमार, उम्र—37साल, निवासी—भैरूजी मन्दिर के पास, तहसील—परबतसर, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. रामगोपाल पुत्र स्वर्गीय किशनलाल, उम्र—71साल, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. विनोदशर्मा पौत्र स्वर्गीय किशनलाल पुत्र रामगोपाल, उम्र—48साल, निवासी—सेन्ट्रल बैंक ऑफ ऑफ इण्डिया के पास, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. मनोजशर्मा पुत्र रामगोपाल, उम्र—41साल, 4. सुरेशशर्मा पुत्र रामगोपाल, उम्र—39साल, 5. महेशशर्मा पुत्र रामगोपाल, उम्र—34साल, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. उप पंजीयक, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 02.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **मौलासर** में खसरा नम्बर 467 रकबा 09.04 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, दर्ज खातेदार "रामगोपाल वल्द किसनलाल" का हिस्सा 1/2 भाग में, "रामगोपाल वल्द किसनलाल" के साथ, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
.......–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **02.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—157—2013/रीडर/2018/ दिनाँक 02.06.2018

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुशीलादेवी पौत्री स्वर्गीय किशनलाल पत्नी अशोक गौड़, उम्र—45साल, निवासी, राजकीय सैकेण्डरी विद्यालय के पास, मकराना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम	1. रामगोपाल पुत्र स्वर्गीय किशनलाल, उम्र—71साल, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—मौलासर

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner